



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225594
CG-DL-E-02032021-225594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 907]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942

No. 907]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 981(अ).—17.08.2006 को अधिसूचित और 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के निम्नलिखित अधिकारी को, इस अधिसूचना की तारीख से एमएमआरसीएल में उनके कार्यकाल के अंत तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यक्षीन एमएमआरसीएल के लिए मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है:

क्रम सं.	नाम (श्री)	पदनाम	के रूप में नियुक्त
1.	श्री राजीव	कार्यकारी निदेशक (रोलिंग स्टॉक), एमएमआरसीएल	मुख्य वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, एमएमआरसीएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन सभी वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा एमएमआरसीएल के नियंत्रणाधीन/एमएमआरसीएल से संबंधित कार्यों तथा वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एमएमआरसीएल के उपर्युक्त अधिकारी किसी वैद्युत कार्य अथवा अधिष्ठापन, जिसका निष्पादन अथवा रख-रखाव उनका दायित्व है, के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा.सं.-42/3/2019-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 981(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (herein after called the said Rules) notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints following officer of Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) as Chief Electrical Inspector to Government for MMRCL, from the date of this notification till the end of his tenure in MMRCL or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfilment of the qualifications and conditions as mentioned in the said Rules:

S. No	Name	Designation	Appointed as
1.	Sh. Rajeev	Executive Director (Rolling Stock), MMRCL	Chief Electrical Inspector

The above-mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the MMRCL or in respect of works and electrical installations under the control of MMRCL/belonging to MMRCL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that the above-mentioned officer of MMRCL does not function as the Chief Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is his responsibility.

The person appointed as Chief Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall have to be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. - 42/3/2019-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.